अंतिम तिथि 31.10.07

कार्यालय,आयुक्त,उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन,भोपाल–462004

क्रमांक 2378/1082/आउशि/छात्रवृत्ति/07 भोपाल, दिनांक – 28.07.2007

प्रति,

1. कुल सचिव,
   समस्त विश्वविद्यालय
   मध्यप्रदेश।
2. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक,
   उच्च शिक्षा,
   इन्दौर/भोपाल/ग्वालियर/रीवा/जबलपुर संभाग
   मध्यप्रदेश
3. प्राचार्य
   समस्त शासकीय महाविद्यालय
   मध्यप्रदेश

विषयः–मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के छात्रों को पी.एचडी. हेतु छात्रवृत्ति का प्रदाय।

––00––

राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के छात्रों के लिये पी.एचडी छात्रवृत्ति वर्ष 2007–08 हेतु छात्र/छात्राओं से आवेदन पत्र आमंत्रित करने के लिये संभाग के प्रमुख समाचार पत्रों एवं रोजगार निर्माण में विज्ञापन प्रकाशित किया जा रहा है, जिसकी अंतिम तिथि 31.10.2007 निर्धारित की गई है।

अतः छात्र–छात्राओं के आवेदन पत्र अग्रेषित करते समय इस बात का अवश्य ध्यान रखा जावे कि आवेदन पत्र दिनांक 31.10.2007 तक इस कार्यालय में प्राप्त हो जाय। पत्र के साथ मार्गदर्शी सिद्धान्त की प्रति एवं आवेदन पत्र संलग्न कर भेजा जा रहा है। निर्धारित तिथि के बाद आये आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जा सकेगा।

संलग्न :उपरोक्तानुसार

(डॉ. अलकनन्दा पलनीटकर)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश

कार्यालय, आयुक्त,उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन,भोपाल–462004

अंतिम तिथि 31.10.07

//विज्ञापन//

विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को पी.एच.डी के लिए छात्रवृत्ति हेतु

योजना वर्ष 2007–08

शिक्षा सत्र 2006–07 से विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति /जनजाति के विद्यार्थियों को पी.एच.डी. के लिए छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत वर्ष 2007–08 में भी निरंतर जारी रखने का निर्णय लिया है । इस योजना के नियम/मार्गदर्शन सिद्धान्त निम्नानुसार होगेः–

1. <u>पात्रताः–</u> ऐसा उम्मीदवार जो मध्य प्रदेश का मूल निवासी हो तथा जिसनेः–

(1) पी.एच.डी. के शोध कार्य हेतु भारत की किसी भी विश्वविद्यालय में शोध उपाधि समिति में साक्षात्कार के उपरांत पंजीयन लिया हो एवं पंजीयन प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया हो ।

(2) स्नातकोत्तर उपाधि में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमानुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों ने निर्धारित न्यूनतम अर्हकारी अंक प्राप्त किये हो ।

(3) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों जिसका प्रमाण पत्र कलेक्टर/सक्षम अधिकारी से प्राप्त किया हो ।

(4) छात्र–छात्राओं के पालकों की आय सीमा मध्य प्रदेश शासन आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा निर्धारित रूपये 1 लाख की अधिकतम सीमा से अधिक न हो ।

(5) मध्य प्रदेश का मूल निवासी हो जिसका प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी से प्राप्त किया हो ।

2. पात्रता के लिये वि.वि. में पंजीयन अनिवार्य होगा । साथ ही यदि कोई आवेदक पूर्व से शोधरत है तो तीन वर्ष की अधिकतम सीमा के अधीन शोध की शेष अवधि के लिये छात्रवृत्ति देने पर विचार किया जा सकेगा

3. छात्रवृत्ति पंजीयन तिथि से तीन वर्ष तक अथवा शोध कार्य विश्वविद्यालय में जमा किये जाने की दिनांक तक जो पहले हो, देय होगी ।

4. छात्रवृत्ति धारक जिस शोध कार्य के लिए छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहा है, उसके लिए कोई अन्य छात्रवृत्ति/वजीफा प्राप्त नहीं करेगा । यदि छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ता को पूर्व से ही कोई

छात्रचृत्ति प्राप्त हो रही है, तो इस छात्रवृत्ति का लाभ उठाने के लिए ऐसी छात्रवृत्ति छोड़ना पड़ेगी, अर्थात एक समय में एक ही छात्रवृत्ति की पात्रता होगी ।

5. (1) शोधार्थियों का चयन केवल छात्रवृत्ति की संख्या की सीमा में स्नात्कोत्तर स्तर पर प्राप्त अंकों की मेरिट के आधार पर बनाई गई चयन सूचि में क्रमानुसार किया जावेगा ।

(2) यदि कोई आवेदक/शोधार्थी संबंधित संकाय में स्नात्कोत्तर स्तर पर समान अंक प्राप्त करते हैं तो, वहां एम.फिल धारक को प्राथमिकता दी जावेगी ।

(3) यदि दोनों एम.फिल. हो व समान अंक हो तो जिसका पंजीयन पूर्व का है, उन्हें प्राथमिकता दी जावेगी ।

6. नवीनीकरणः— उक्त छात्रवृत्ति का नवीनीकरण विश्वविद्यालय/केन्द्राध्यक्ष द्वारा प्रतिवर्ष किया जावेगा । नवीनीकरण के लिये नियमित उपस्थिति, संतोषजनक प्रगति एवं उत्तम आचरण मुख्य शर्तें होंगी । छात्रों को शोधकार्य का प्रगति प्रतिवेदन एवं उपस्थिति पत्रक निर्देशक/गाइड से प्रमाणित कराकर विश्वविद्यालय के माध्यम से आयुक्त कार्यालय को भेजना होगा । इसके बाद ही अगले वर्ष के लिये छात्रवृत्ति देय होगी ।

7. छात्रवृत्ति का नवीनीकरण उक्त आधार पर किया जाकर बजट की मांग विश्वविद्यालय/केन्द्राध्यक्ष द्वारा संबंधित अतिरिक्त संचालक क्षेत्रीय कार्यालय उच्च शिक्षा से की जावेगी, जो आवश्यकतानुसार क्षेत्रीय कार्यालय उच्च शिक्षा विभाग द्वारा विश्वविद्यालयों/केन्द्राध्यक्षों को आवंटित की जावेगी ।

8. मध्यप्रदेश के बाहर के विश्वविद्यालयों में पंजीकृत शोधार्थियों को उपरोक्तानुसार उपस्थित, शोध कार्य का संतोषजनक प्रगति प्रतिवेदन एवं उपस्थिति पत्रक अपने निर्देशक/गाइड से प्रमाणित कराकर विश्वविद्यालय के माध्यम से आयुक्त, उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश भोपाल को विश्वविद्यालय के विनियम/ अध्यादेश में उल्लेखित निर्धारित तिथि/अवधि के भीतर भेजना होगा । जानकारी पूर्ण रूप से प्राप्त होने एंव संतोषजनक पाये जाने पर नवीनीकरण आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा किया जाकर संबंधित विश्वविद्यालय/केन्द्राध्यक्ष को छात्रवृत्ति की राशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भेजी जावेगी, एवं संबंधित विश्वविद्यालय/केन्द्राध्यक्ष द्वारा यह राशि शोधार्थियों को भुगतान कर भुगतान की जानकारी (प्राप्ति की रसीद के साथ) आयुक्त उच्च शिक्षा को प्रस्तुत करेंगे । भुगतान प्राप्ति की सूचना संबंधित शोधार्थी को आयुक्त उच्च शिक्षा को प्रेषित करेगा । यह शोधार्थी का उत्तरदायित्व होगा ।

आगामी नवीनीकरण, अपेक्षित विवरण एवं भुगतान की जानकारी प्राप्त होने पर ही किया जा सकेगा, अन्यथा नहीं ।

9. आलोच्य छात्रवृत्ति प्रतिवर्ष 100 विद्यार्थियों को अधिकतम सीमा/कोटे के अधीन रहते हुये अनुसूचित जाति के 40 एवं अनुसूचित जन जाति के 60 विद्यार्थियों को प्रतिमाह रू. 5000=00 या समय समय पर शासन द्वारा निर्धारित दर से देय होगी, जिसका नियमानुसार संकायवार कोटा निर्धारित किया गया है ।

स.क्र.	संकाय	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1.	कला	04	06
2.	सामाजिक विज्ञान संकाय	08	12
3.	विज्ञान संकाय	06	09
4.	जीव विज्ञान संकाय	06	09
5.	गृह विज्ञान संकाय	02	03
6.	वाणिज्य संकाय	08	12

7.	प्रबन्धन संकाय	02	03
8.	विधि संकाय	04	06
	योग	40	60

नोटः– प्राप्त आवेदन पत्रों की मेरिट सूची संकायवार बनायी जावेगी ।

10. उपरोक्त मापदंडो में संशोधन विचाराधीन है जो मान्य एवं बंधकारी होगा । अतः आवेदक के मात्र आवेदन से कोई अधिकार निर्मित नही होगा । ऐसे सभी मामले जिनकी व्यवस्था इन नियमों में नहीं है, में आयुक्त उच्च शिक्षा का निर्णय अन्तिम होगा ।

11. आवेदन पत्र इस कार्यालय में डॉ. अलकनन्दा पलनीटकर विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
, उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति के नाम से दिनांक 31.10.07 तक प्राप्त हो जाना चाहिये ।

12. निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।

(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

(डॉ. अलकनन्दा पलनीटकर)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश

आवेदन का प्रारूप

विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को पी.एच.डी. करने हेतु छात्रवृत्ति आवेदन पत्र वर्ष 2007–2008

अंतिम तिथिः 31.10.2007

संकाय .... पंजीयन तिथि ....

1.	विद्यार्थी का पूरा नाम	
2.	पिता/अभिभावक का पूरा नाम	
3.	विश्वविद्यालय का पूरा नाम जिसमें आवेदक पंजीकृत है ।	
4.	पी.एच.डी. का विषय एवं शीर्षक	
5.	पंजीयन का आवेदन क्रमांक एवं दिनांक (छायाप्रति संलग्न करें)	
6.	शैक्षणिक सेवाओं का विवरण (सत्यापित सूची संलग्न करें)	

क्र.	परीक्षा का नाम	बोर्ड/वि. वि. का नाम	परीक्षा उत्तीर्ण वर्ष	अनुक्रमांक	पूर्ण अंक	प्राप्त अंक	प्रतिशत	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति का प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति कलेक्टर/सक्षम अधिकारी द्वारा प्राप्त किया हो ।	
8.	मध्यप्रदेश के मूल निवासी का प्रमाण पत्र	
9.	माता पिता/अभिभावक की समस्त स्त्रोंतों से वार्षिक आय /कलेक्टर/तहसीलदार के प्रमाण पत्रों की मूल प्रति	
10.	उस महाविद्यालय / विश्वविद्यालय का नाम जिसमें शिक्षा सत्र 2006–07 में परीक्षा उत्तीर्ण की हो डिग्री प्रति मार्कशीट प्रमाणित प्रति	
11.	पी.एच.डी. की अवधि (शोध अवधि)	
12.	मार्गदर्शक प्रोफेसर/गाइड/सह मार्गदर्शक(को–गाइड) का विवरण (1) नाम (2) महाविद्यालय/सेवारत संस्थान का नाम (3) पद नाम	

—: घोषणा :—

1. मैं एतद द्वारा यह घोषित करता हूं कि इस आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दिये गये विवरण पूर्णतः सत्य है ।

2. मैं यह भी घोषित करता हूं/करती हूं कि मेरा आवेदित छात्रवृत्ति के लिये मेरा चयन किया जाता है तो मैं पूर्ण निष्ठा एवं इमानदारी से शोघ कार्य में संलग्न रहूंगा/रहूंगी और यह कि मैं किसी अन्य स्त्रोंतो से कोई दूसरी छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करूंगा/करूगी ।

3. मैं यह भी घोषित करता/करती हूं कि मैं कोई सेवा या व्यवसाय आदि नहीं करूंगा/करूंगी ।

4. मैं यह भी घोषित करता हूं कि यदि मेरे द्वारा शोधावधि में कहीं नौकरी/व्यवसाय करते हुये पाये जाने पर अर्थात घोषणा पत्र में दिये गये शर्तों के विपरीत कार्य करने पर शासन द्वारा पी.एच.डी. हेतु दी गई राशि को ब्याज सहित वापस करूंगा/करूंगी ।

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थानः————————
दिनांकः————————
संलग्न सहपत्रों की संख्या

विश्वविद्यालय का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.. को दिनांक........................ को पी.एच.डी........................ में नियमित/पूर्णकालिन छात्र के रूप में प्रवेश दिया गया है और इनका शोध कार्य अभी जारी है । मैने इस आवेदन पत्र पर प्रविष्टियों की जांच कर ली है, वे सही है ।

मैं यह भी प्रमाणित करता हूं कि उक्त शोधार्थी का कार्य, व्यवहार एवं आचरण अच्छा/उत्तम कोटि का है ।

कुल सचिव/संस्था प्रमुख के
हस्ताक्षर एवं सील